

डिक्री व मुकदमें ईत्दादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 619/2024

राधेश्याम पुत्र विजय सिंह जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, 4 एम.एम.के. लीलावाली  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम्

1. विजय सिंह पुत्र आदराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, 4 एम.एम.के. लीलावाली  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सोनिया गोदारा पुत्री विजय सिंह जाति जाट साकिन वार्ड नं. 7, 4 एम.एम.के.  
लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
कर्टई सुधरु हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री भीम  
सिंह छिम्पा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया  
जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 एमएमके खाता सं. 8/3 जं.सं. 2072-2075 में  
प्रतिवादी सं. 1 विजय सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 1.012 है. कृषि भूमि का वादी  
राधेश्याम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार  
हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल  
दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बावत्..........निल..........खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...21.1.2025.....को  
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया

